न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 125 / 2023

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. लूंभाराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी सेवरों की ढाणी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

1 आईदानराम पुत्र ईश्वरराम
2 खेताराम पुत्र नन्दराम
3 चेतनराम पुत्र हडूमानराम
4 जेठाराम पुत्र हडूमानराम
5 पेम्पोदेवी पत्नि हडूमानराम
6 पेमाराम हडूमानराम
7 मेराराम पुत्र ईश्वराराम
8 मानाराम पुत्र हडूमानराम
9 मालाराम पुत्र जगमालराम
10 रारूराम पुत्र जगमालराम
11 शेराराम पुत्र जगमालराम
12 सोनाराम पुत्र नन्दराम
13 हुकमाराम पुत्र हडूमानराम
14 हुकमाराम पुत्र जगमालराम
15 पूनमाराम पुत्र हीराराम
16 पुरखाराम पुत्र हीराराम
17 मांगीलाल पुत्र हीराराम
18 खेमाराम पत्रु मेहराराम
19 वीरों पत्नि मेहराराम
20 अमराराम पुत्र हरचन्द्रराम
21 रामाराम पुत्र हरचन्दराम जातियान जाट निवासी सेवरों की ढाणी, डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
22 तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:36:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नखमबन्दी [illegible])

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनिवाल, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, विप्रार्थी सं. 1,4,7,11 व 13 की ओर से अनुपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 09.01.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सेवरो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 665/376 रकबा 1.9011 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सेवरो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 665/376 रकबा 1.9011 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1,4,7,11 व 13 की तरफ से वकील श्री भंवरलाल सारण उपस्थित हुए परन्तु न तो उनके द्वारा जवाब पेश किया गया ओर न ही पैरवी हेतु उपस्थित हुए। शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सेवरो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 665/376 रकबा 1.9011 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सेवरो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 665/376 रकबा 1.9011 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:36:38 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर [illegible]स्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन [illegible] विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि पटवार मण्डल [illegible] के खेत खसरा संख्या 665/376 रकबा 1.9011 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, [illegible]त्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1,4,7,11 व 13 की तरफ से वकील श्री भंवरलाल सारण उपस्थित तथा शेष विप्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर पटवार मण्डल सिणधरी मौजा सेवरो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 665/376 रकबा 1.9011 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 09.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:36:38 IST
Reason: SelfAttested